



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
36-01-2011	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ हाउस कंट्रोल अपील वाद संख्या-60/2011 जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णियाँ.....</p> <p style="text-align: right;">आवेदक</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>डी0डी0सी0-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णियाँ.....</p> <p style="text-align: right;">विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आ दे श</p> <p>आवेदक जिला परिषद, पूर्णियाँ के पत्रांक 376, दिनांक 14.06.2010 द्वारा निर्गत आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कार्यालय जिला परिषद हाता के अन्दर विपक्षी के भवन में चल रहा है, जिसका मासिक किराया 1890.00 (एक हजार आठ सौ नब्बे) रु0 है। विपक्षी ने अपने पत्रांक 05/जिला परिषद, (पूर्णियाँ), दिनांक 05.01.2010 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि दिनांक 30.01.2009 को जिला परिषद की बैठक में तय किया गया कि सभी मकान का किराया पूर्व के किराया का पाँच गुणा कर दिया जाय। लेकिन वर्तमान में आपके कार्यालय का किराया 01 जनवरी, 2010 से दो गुणा 3780.00 (तीन हजार सात सौ अस्सी) रु0 देय होगा। इसकी सूचना आवेदक ने अपने निदेशक महोदय को दी। इस सूचना के आधार पर संयुक्त निदेशक, इम्प्लायमेंट एक्सचेंज, बिहार ने आवेदक को सलाह दी कि वे विपक्षी से अनुरोध करें कि किराया में 50% की वृद्धि कर 2835.00 (दो हजार आठ सौ पैंतीस) रु0 मासिक किराया निर्धारित कर दें। आवेदक ने अपने पत्रांक 251-52, दिनांक 29.05.2010 के द्वारा अपने उच्चाधिकारी के सलाह के अनुसार 50% वृद्धि करने का अनुरोध किया। विपक्षी ने इस पत्र के उत्तर में आवेदक से कहा कि वे अपने कर्मचारी को विगत 18 माह से वेतन नहीं दे पाये हैं। अतः आप दूना किराया (3780.00 रु0) का भुगतान करें। अन्यथा भवन को खाली कर दें। पुनः आवेदक ने इस आशय की सूचना अपने निदेशक महोदय को दी। निदेशक महोदय द्वारा आवेदक को निर्देश दिया गया कि सरकारी अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर किराया निर्धारित करने हेतु अपील वाद दायर कर दें। उल्लेखनीय है कि आवेदक का कार्यालय भी सरकारी कार्यालय ही है और किराया का निर्धारण भवन मालिक के द्वारा नहीं किया जाता है। आवेदक 50% अतिरिक्त भाड़ा भुगतान करने के लिये तैयार हैं अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि उनके कार्यालय का नियमानुसार किराया निर्धारित करने की कृपा की जाय।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 05.08.2011 को सुनवाई की गयी। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने आवेदन में बताया गया बातों को दोहराया गया। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी के द्वारा नियमानुसार किराया निर्धारण अधिनियम के तहत नहीं कर अपने मनमाने ढंग से किया गया है, जो गलत है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला परिषद नियम की धारा-60 के अन्दर यह निर्णय लिया गया। साथ-साथ Bihar Building Regulation Control Act की धारा-32 स्थानीय निकायों पर लागू नहीं होता है।</p> <p>पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा दोनों पक्ष को</p>	

क्र. क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा बढ़ाये गये किराया विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। आवेदक के आवेदन के द्वारा समहति दिये गये दर से ज्यादा किराया देने हेतु आवेदक असमर्थ है, इसलिये तत्काल आवेदक के आवेदन के अनुसार 50% अतिरिक्त भाड़ा भुगतान पर दर निर्धारण करना उचित प्रतीत होता है। चूँकि जिला परिषद एक स्थानीय निकाय है, इसलिये उनके मांग के अनुसार आवेदक विभाग से अपना सहमति प्राप्त करें। तदनुसार विपक्षी के मांग के अनुसार भुगतान करने हेतु दर निर्धारित किया जाना उचित होगा। इस आदेश के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>  <p>समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	 <p>समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>